न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :— श्री राकेश कुमार न्योल
प्रकरण सख्याः—35/21 रेवेन्यु निर्णय दिनांकः—18.06.2024

1 श्री प्रवीण पिता धना ताबियाड उम्र 32 वर्ष निवासी गडापटटापीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

वादी

बनाम

1 श्री भूमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपूर राजस्थान
2 श्री पटवारी पटवार हल्का घोधरा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
व सपठित धारा 212 जाब्ता दिवानी
गोदनामा, कब्जे एवं हक के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित करने बाबत।

उपस्थित अधिवक्ताः—श्री बालगोविन्द पाटीदार, कर्तव्य शाह वादी की और से

निर्णय दिनांक 18.06.2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी गांव गडापटटापीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान का स्थायी निवासी है। वादी की विरासती कब्जेशुदा भुमि ग्राम गेलन में खाता संख्या 91, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.3076 हैक्टेयर होकर स्थित है। उक्त भुमि पर वादी के दत्तक पिता, उनके पुर्वज व वादी गोद जाने के बाद से ही लगातार बेरोक टोक कब्जा होकर काश्त करते आ रहा है। तथा उक्त जमीन को वादी के दत्तक पिता ने मेहनत मजदुरी कर उपजाउ बनाया है। वादी के दतक पिता धना पिता कुरीया के कोई विधिक पुत्र—पुत्री संतान नहीं होने से दत्तक पिता धना पिता कुरीया व उसकी पत्नि के वृद्ध होने से वादी प्रवीण पिता रतना को रिश्तेदार होने से दत्तक पिता धना पिता कुरीया द्वारा दिनांक 27/12/2000 को वादी के पक्ष में तहसील कार्यालय सीमलवाडा में उपस्थित होकर रजिस्टर्ड दस्तावेज गोदनामा सम्पादित कर दतक पिता धना पिता कुरीया व उसकी पत्नि ने अपनी जीवित अवस्था में ही सेवा चाकरी, सामाजिक रस्मों रिवाज, खाना पानी, चिकित्सा सम्बन्धी समस्त कार्यों करने, चल अचल सम्पति को वादी के पक्ष में करने गोदनामा सम्पादित किया गया था। वादी ही गोद लेने वाले दत्तक पिता धना पिता कुरीया की समस्त चल अचल सम्पति के हकदार अधिकारी रहेगे। वर्तमान में वादी गोदपुत्र प्रवीण मुतबन्ना धना ताबियाड के नाम से जाना जाता है। गोद लेने वाले दत्तक पिता धना पिता कुरीया की दिनांक 30/07/2009 को मृत्यु हो जाने पर समस्त कियाकर्म समाज पंचों की उपस्थिति में गोदपुत्र होने से वादी द्वारा किया गया है। जिसके बाद से दत्तक पिता की समस्त चल अचल सम्पति पर विरासती रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहा है। वादी ने अपने कब्जे काश्त की कॉलम संख्या 2 में अंकित कृषिभूमि पर केसीसी लोन लेने हेतु हाल जमाबंदी की नकल निकलवाई तो जानकारी हुई ग्राम गेलन में खाता संख्या 91, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.3076 हैक्टेयर में वादी के दत्तक पिता धना पिता कुरीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित है।

क्रमशः पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

जिस पर वादी ने दत्तक पिता धना पिता कुरीया की दिनांक 30/07/2009 को मृत्यु के पश्चात सम्पदित गोदनामा के आधार पर पटवार हल्का गडापटटापीठ मौजा राजपुर व पटवार हल्का पीठ में मौजा पीठ की समस्त आराजीयों का नामान्तरण दर्ज कर दिया गया है। लेकिन ग्राम मेलन में खाता संख्या 91, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.3076 हैक्टेयर में वर्ष 2009 में मृत्यु के बाद भी अब तक गोदपिता धना पिता कुरीया की कृषिभुमि पर नामान्तरण दर्ज नहीं किया गया जिस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 पटवारी पटवार हल्का धोधरा से मिलकर गोदनामा के आधार पर नामान्तरण खुलवाने रिपोर्ट देने पर नामान्तरण दर्ज करने से मना कर दिया गया। जिस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार सीमलवाडा से मिलकर गोदपिता धना पिता कुरीया का एक मात्र विधिक वारिसान गोदपुत्र होने से नामान्तरण दर्ज करने की बात की तो प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा भी नामान्तरण दर्ज करने से मना कर दिया गया। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जो म्याद अवधि में प्रस्तुत है। वादी के गोदपिता द्वारा तहसील कार्यालय सीमलवाडा में उपस्थित होकर वादी गोदपुत्र के नाम रजिस्टर्ड गोदनामा सम्पादित किया गया था। जिसके अनुसार गोदपुत्र वादी गोदपिता धना पिता कुरीया की समस्त चल अचल सम्पति का एकमात्र विधिक वारिसान है। लेकिन वर्ष 2009 में गोदपिता धना पिता कुरीया की मृत्यु के बाद भी अब तक मौजा गेलन की आराजी का अंकन करना भुलवंश रह गया है। ऐसे में मौजा गेलन के खाता संख्या 91, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.3076 हैक्टेयर का वादी के नाम नामान्तरण दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। गोदपिता धना पिता कुरीया का एकमात्र गोदपुत्र ही विधिक वारिसान है। इसके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है। गोदपिता धना पिता कुरीया की समस्त कृषिभुमि आराजीयों में वादी का नाम दर्ज हो गया है। लेकिन ग्राम गेलन में खाता संख्या 91, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.3076 हैक्टेयर में वादी के नाम नामान्तरण दर्ज किया जाना रह गया है। ऐसे में गोदपिता धना पिता कुरीया का वादी प्रवीण पिता धना ही एकमात्र विधिक वारिसान होकर गोदपुत्र होने से वादी के नाम नामान्तण दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रतिवादीगण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे वादी को ग्राम गेलन में खाता संख्या 91, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.3076 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण वादी के अलावा अन्य किसी के नाम नामान्तरण दर्ज नहीं करे। तथा वादी को उपयोग उपभोग करने में रूकावट पैदा नहीं करे।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किये गये। सुचना के बाद प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अंकित किया गया है कि वादी द्वारा मौजा गेलन में गोदनामा का नामान्तरण दर्ज करने का वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में रजिस्टर्ड गोदनामा प्रस्तुत किया गया था जिसमें मौजा पीठ व मौजा राजपुर की भूमि का विवरण दिया गया था। उक्त गोदनामा दस्तावेज में मौजा गेलन से संबंधित किसी भुमि से विवरण नहीं दर्ज था। मौजा गेलन की भुमि से संबंधित गोदनामा नहीं होने के कारण वादी के पक्ष में गोदनामा का नामान्तरण दर्ज नहीं किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

क्रमशः पेज 3 पर

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली में एकपक्षीय विद्वान अभिभाषक की लिखित बहस सुनी गई बहस में वकील वादी ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के तथ्यों को दोहराया कि वादग्रस्त आराजी वादी की कब्जेशुदा आराजी है वादी फोत कृषक व खातेदार धना का गोदपुत्र होकर धना का एक मात्र वारिस है वादी मुलपुरूष व खातेदार धना पिता कुरीया का एक मात्र गोदपुत्र होकर विधिक वारिसान है धना पिता कुरीया की ग्राम राजपुर व पीठ की आराजीयात में वारिसान धना के गोदपुत्र वादी का नाम दर्ज है। कोई भी व्यक्ति एक ही व्यक्ति को गोदपुत्र ले सकता है तथा वादी धना का विधिक गोदपुत्र है। तथा वादग्रस्त आराजी पर गोदपुत्र की हैसियत से काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा वादी के अलावा धना का कोई अन्य विधिक वारिसान नहीं है। उक्त आराजी पर वादी काबिज होकर लम्बे समय से काश्त करते आ रहा है। ऐसे में ग्राम गेलन में खाता संख्या 91, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.3076 हैक्टेयर पर कब्जे के आधार पर वादी को वादग्रस्त आराजी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन करने पर साबित होता है कि वादी धना पिता कुरिया का गोदपुत्र है। वादी लम्बे समय से ग्राम गेलन में खाता संख्या 91, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.3076 हैक्टेयर की आराजी पर कब्जा होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहा है। धना पिता कुरीया की मौजा पीठ व राजपुर की आराजीयों में वादी के नाम रिकॉर्ड दर्ज है। ऐसे में ग्राम गेलन में खाता संख्या 91, खसरा नम्बर 389 रकबा 0. 3076 हैक्टेयर की आराजी पर वादी का विरासती कब्जा व हक होने से अधिकार निहित है। ऐसे में नियमानुसार ग्राम गेलन में खाता संख्या 91, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.3076 हैक्टेयर आराजी पर प्रवीण पिता धना का नाम दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नियमानुसार डिकी पर्चा कायम हो।

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद डिकी किया जाकर वादी धना पिता कुरिया का गोदपुत्र है। वादी लम्बे समय से ग्राम गेलन में खाता संख्या 91, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.3076 हैक्टेयर की आराजी पर कब्जा होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहा है। धना पिता कुरीया की मौजा पीठ व राजपुर की आराजीयों में वादी के नाम रिकॉर्ड दर्ज है। ऐसे में ग्राम गेलन में खाता संख्या 91, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.3076 हैक्टेयर की आराजी पर वादी का विरासती कब्जा व हक होने से अधिकार निहित है। ऐसे में नियमानुसार ग्राम गेलन में खाता संख्या 91, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.3076 हैक्टेयर आराजी पर प्रवीण पिता धना का नाम दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझता हू। नियमानुसार डिकी पर्चा मुर्तिब किया जावे।

राकेश कुमार न्योल
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी

आदेश आज दिनांक 18.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

राकेश कुमार न्योल
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)
(सिविल प्रोसीजरकोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

इजलास श्री उपखंड अधिकारी सीमलवाडा श्री राकेश कुमार न्योल

प्रकरण संख्या– 35/21 रेवेन्यु

श्री प्रवीण बनाम भुमिधारी तहसीलदार

वाद बाबतः वाद अर्न्तगत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सपठित धारा 212 जाब्ता दिवानी, गोदनामा, कब्जे एवं हक के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित करने बाबत।

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरूः– श्री राकेश कुमार न्योल

व हाजरीः–

श्री बालगोविन्द पाटीदार, कर्तव्य शाह मिनजानिब मुदई उपस्थित व मिनजानिब मुदायलाह की ओर उपस्थित, कार्यवाही का होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि–

वादी धना पिता कुरिया का गोदपुत्र है। वादी लम्बे समय से ग्राम गेलन में खाता संख्या 91, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.3076 हैक्टेयर की आराजी पर कब्जा होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहा है। धना पिता कुरीया की मौजा पीठ व राजपुर की आराजीयों में वादी के नाम रिकॉर्ड दर्ज है। ऐसे में ग्राम गेलन में खाता संख्या 91, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.3076 हैक्टेयर की आराजी पर वादी का विरासती कब्जा व हक होने से अधिकार निहित है। ऐसे में नियमानुसार ग्राम गेलन में खाता संख्या 91, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.3076 हैक्टेयर आराजी पर प्रवीण पिता धना का नाम दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 18.06.2024 को जारी की गई

दस्तखत. . . . .
ओहदा उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा . . . .

मुदई	रूपया/पेसा	मुदायलाह	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प व जेह सबुत म्हेनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बवत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी म्हेनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner